न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश(एफ०टी०सी०–द्वितीय),

सन्त कबीर नगर।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या– 256/2022

सरकार बनाम रामदरस आदि

20.12.2023

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद की पत्रावली पेश हुई। रामदरस जमानतदार की ओर से प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि– प्रार्थी उक्त मुकदमें में जमानत लिया था, श्रीमान् जी के यहां पत्रावली में हाजिर है। प्रार्थी के साथ जमानतदार का मुकदमा संस्वीकृति के आधार पर समाप्त हो गया है। प्रार्थी भी अपना मुकदमा समाप्त करवाना चाहता है। न्यायहित में प्रार्थी के मुकदमें को दयापूर्वक कार्यवाही करते हुए उचित अर्थदण्ड लगाकर समाप्त किया जाना आवश्यक है।

सुना, प्रार्थना पत्र एवं सम्बन्धित पत्रावली एस०टी०नं० –50/2015, सरकार बनाम रामकेश का अवनोकन किया। जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त रामकेश न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानतीय अधिपत्र के अनुसरण में गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। ऐसी स्थिति में धारा 446(3) दं०प्र०सं० के तहत जमानत धनराशि/शास्ति मु० 1,00,000/– (एक लाख रुपये) में से 99,000/–(निन्यानवे हजार रूपये) रिमीट (Remit) कर 1,000/– (एक हजार रुपये) प्रार्थी को जमा करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थी को निर्देशित किया जता है कि वह अविलम्ब जमानत धनराशि/शास्ति मु० 1,00,000/– (एक लाख रुपये) में से 1,000/– (एक हजार रुपये) अविलम्ब जमा करें। उपरोक्तानुसार प्रार्थी रामदरस का प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 20.12.2023

(काशिफ शेख)

अपर सत्र न्यायाधीश(एफ०टी०सी०–द्वितीय),

सन्त कबीर नगर।

[J.O. Code–UP02680]

Digitally signed by KASHIF SHEIKH
Date: 2023.12.20 14:01:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court